दिनांक 08.05.2019

स्वच्छ भारत अभियान　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

उड़न दस्ता की टीम ने एक्सपायरी पेय एवं खाद्‌य पदार्थ पर की कार्यवाही

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम , भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने आयुक्त श्री सुंदरानी के निर्देश पर विक्रय नियत तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात भी विक्रय के लिए रखे गए पेय एवं खाद्‌य पदार्थ पर बड़ी कार्यवाही कर रही है। जिसमें जोन 04 शिवाजी नगर खुर्सीपार के अतंर्गत बालकृष्ण तिवारी द्‌वारा मानव जीवन को प्रभावित करने वाले एक्सपायरी हुए पेय पदार्थ जिसमें फेन्टा, कोकाकोला, थम्सअप एवं आईसक्रीम सहित अन्य खाद्‌य पदार्थ आदि बेचते पाये जाने एवं बिना लायसेंस दुकान का संचालन करने के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 3 हजार रुपये अर्थदण्ड व आज कुल 19 हजार रुपये अर्थदण्ड वसूला गया।

उड़नदस्ता टीम ने गंदगी फैलाने वाले होटल , रेस्टोरेंट, रोड बाधा, दुकानदार, गोमास्ता, ट्रेड एवं खाद्‌य लायसेंस नहीं रखने वाले व्यवसायियों , अवैध रुप से व्यवसाय करने वाले संचालकों , प्रतिबंधित प्लास्टिक/डिस्पोजल, कैरीबैग रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की।

सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत् आज 14 प्रतिष्ठानों बच्चन होटल, कान्हा होटल, बरन लाल, राज मोबाईल, रामचरण गुप्ता, कृष्णा साव किराना , आरएल गुप्ता चना मूर्रा, शोभा मोबाईल, आरके ट्रेडर्स, विशाल ट्रेडर्स, प्रकाश जनरल, सुनिल जनरल, एम वेंकटराव, अर्जून होटल से लगभग 19 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है साथ ही उन्हे चेतावनी दी गई की इस प्रकार की हरकत ना करें लाइसेंस नहीं है तो शिविर के माध्यम से नया लाइसेंस एवं लाइसेंस नवीनीकरण का लाभ लेकर बनवा ले।

उड़नदस्ता की टीम निरीक्षण करने पहुंचे तो पाया कि पेय एवं खाद्‌य पदार्थ एक्सपायर हो गये है जो मानव जीवन के लिए अच्छा नहीं है तो तुरंत कार्यवाही करते हुए पंचनामा बनाकर सामग्री जब्तकर विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गई उसी प्रकार जो व्यवसायी अपने दुकान के बाहर रोड पर रखकर सामान विक्रय कर रहे हैं जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था एवं लायसेंस नहीं रखने पर उड़नदस्ता की टीम द्‌वारा कार्यवाही लगातार जारी है।

नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस 0के0 सुंदरानी ने आम नागरिकों से अपील की है कि कोई भी पेय पदार्थ एवं खाद्‌य पदार्थ जो पैकेट में रहता है खरीदने से पहले उनका एक्सपायरी डेट अवश्य देख लें एक्सपायर हुए खाद्‌य या पेय पदार्थ अगर हम सेवन कर ले तो हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता उसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं।

जनसम्पर्क अधिकारी

''जल है तो कल है'' ''जल ही जीवन है''